बिहार सरकार

अनुमंडल कार्यालय, सदर, गया
(कल्याण शाखा)

अल्पकालीन सूचना

—:: विकास मित्र के रिक्त पद पर नियोजन से संबंधित सूचना::—

मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना के पत्रांक—1586, दिनांक—05.09.2016, पत्रांक—838, दिनांक—20.04.2022 एवं पत्रांक—1317, दिनांक—21.06.2024 के निदेशानुसार जिला परियोजना पदाधिकारी—सह—जिला कल्याण पदाधिकारी, गया के पत्रांक—2867 / जि0क0, दिनांक—05.08.2025 एवं पत्रांक—1528 / जि0क0, दिनांक—07.05.2025 के द्वारा विकास मित्रों के रिक्ति उपलब्ध कराते हुए नियोजन की प्रक्रिया अविलम्ब पूर्ण कराने हेतु निदेश प्राप्त है।

उपरोक्त वर्णित निदेश के आलोक में विकास मित्र चयन मार्गदर्शिका (पंचम चरण) के अनुरूप विकास मित्र नियोजन की प्रक्रिया निम्नरूपेण निर्धारित की जाती है:—

क्रमांक	गतिविधि	अवधि
1	संबधित प्रखंडों मे आवेदन प्राप्त करना	18.09.2025 से 27.09.2025 तक
2	मेघा सूची तैयार करना तथा प्रकाशन करना	06.10.2025
3	चयन सूची तैयार करना एवं अनुमोदित करना।	08.10.2025 से 09.10.2025 तक
4	आपत्ति प्राप्त करना एवं निराकरण	10.10.2025 से 14.10.2025 तक
5	अन्तिम चयन सूची का प्रकाशन	20.10..2025
6	नियोजन पत्र वितरण / शपथ ग्रहण / उन्मुखीकरण	30.10.2025

रिक्तियों की विवरणी

क्र0सं0	प्रखंड / शहरी निकाय	रिक्तियों की सं0	पंचायत / वार्ड का नाम	जाति बहुलता	आरक्षण कोटि
01	नगर प्रखंड	01	03 / 04	चमार	सामान्य
02	मानपुर प्रखंड	01	सोहैपुर	भुईया	सामान्य
02	टनकुप्पा प्रखंड	01	चोबार	भुईया	सामान्य

चयन हेतु अर्हताः—

1. आवेदक / आवेदिका की न्यूनतम योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। मैट्रिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के अनुरूप किया जाएगा तथा समान अंक रहने पर ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी को अतिरिक्त लाभ नही दिया जाएगा। मैट्रिक पास अभ्यर्थी नही रहने पर नन मैट्रिक, नौवी पास, आठवी पास, सातवीं पास, छठी पास, एवं पाँचवी पास, का नियोजन किया जाएगा।
2. महिलाओं में शैक्षणिक योग्यता नही मिलने पर साक्षर रहने पर भी चयन किया जा सकेगा बशर्ते वे अक्षर आंचल योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हो तथा वे सामाजिक कार्य में प्रगतिशील सक्रिय महिला है।
3. महादलित अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए।
4. आवेदक महादलित परिवार से होगा। पंचायत / वार्ड समुह(शहरी) में जिस महादलित जाति की बहुलता होगी उसी जाति के अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।
5. जिस पंचायत / वार्ड / वार्ड समुह (शहरी) में विकास मित्र का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी से आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा एवं चयन किया जाएगा।
6. यह नियुक्ति अनुबंध पर आधारित है, जिसे सरकारी कर्मचारी नही समझा जायेगा।

चयन प्रक्रियाः— rojgarbihar.com

1. आवेदन विहित प्रपत्र में होना चाहिए। विहित प्रपत्र संबंधित प्रखंड कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
2. आवेदन पत्र जमा करने का स्थान संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय होगा ।

आवेदन के साथ आवश्यक कागजात

(A) मैट्रिक / समकक्ष का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति।
नन मैट्रिक के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति / समकक्ष से निर्गत प्रवेश पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति। आठवी से पांचवी पास तक के अभ्यर्थियों के लिए विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति।

(B)जाति प्रमाण पत्र आर0टी0पी0एस0 द्वारा निर्गत।

(C)स्थायी निवास प्रमाण पत्र (आर0टी0पी0एस0 द्वारा निर्गत)

7. प्रत्येक पंचायत / वार्ड / वार्ड समुह में महादलित जाति की बहुलता पूर्व से निर्धारित है।
8. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर गया की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा विकास मित्रों का चयन मेघा अंक के आधार पर किया जाएगा।
9. विशेष जानकारी के लिए वेवसाईट www.RojgarBihar.Com पर देख सकेंगे।

विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर, गया।

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।